FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
अर्जुन भगवान गोरे पुत्र श्री भगवान तुकाराम गोरे जाति माली निवासी अंधारी ता. सिलोड अंधारी औरगाबाद महाराष्ट्र।		सरकार जरिये सहायक लोक अभियोजक, नागौर

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या 62 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23.08.2022	वकील प्रार्थी ने धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना मेड़ता सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 306/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी चालक की जब्त शुदा वाहन ट्रक पंजीयन संख्या एम. एच.20/ई.एल.7920 को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। सहायक लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की मूल अनुसंधान पत्रावली मय प्रकरण स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित पत्रावली दिनांक 31.08.2022 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
31/8/2022	**प्रार्थी की ओर से श्री चन्द्र प्रकाश मिर्धा उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुरेश कुमार रोयल उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर. पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई।** **दौराने बहस विद्धान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर एम.एच.20ई.एल.7920 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी के अलावा अन्य कोई उक्त वाहन का मालिक नहीं है। सी.आर. नम्बर 306/2022 पुलिस थाना मेड़तासिटी में उक्त वाहन को जब्त कर रखा है तथा वाहन के साथ वाहन के मूल दस्तावेजात जिसमें मूल आर.सी. वाहन का मूल इन्श्योरेन्स, फिटनेश व प्रार्थी के ड्राईवर गोविन्दा अनिल सिंह का ड्राईविग लाईसेन्स इत्यादि भी जब्त कर रखे है तथा उक्त वाहन मय वाहन के मूल दस्तावेज की अब पुलिस थाना मेड़तासिटी वालों को अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। वाहन मय दस्तावेज बिना देख रेख के अभाव में पड़ा क्षतिग्रस्त हो रहा है। प्रार्थी को उक्त वाहन मय दस्तावेज की आवश्यकता रहती है। दौराने ट्रायल प्रार्थी उक्त वाहन मय दस्तावेज को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं करेगा न ही इसमें किसी प्रकार का रद्दोबदल ही करेगा न ही उक्त वाहन मय दस्तावेज को किसी अन्य के यहां रहन या गिरवी रखेगा। न्यायालय हाजा जब भी उक्त वाहन मय दस्तावेजात को तलब करेगी तो प्रार्थी अपने खर्चे से** कलक्टर,नागौर	